1. युवा उन्मुख नीति

विभाग द्वारा दृश्य और निष्पादन कला के प्रचार-प्रसार और संरक्षण के कार्य हेतु राज्य के युवा वर्ग मे कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने के साथ-साथ विभिन्न कला विधाओ के प्रति प्रेरित/प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है, जिससे कि प्रत्येक युवा मे कला का अंकुरण हो सके। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा युवाओ मे कला एवं संस्कृति कौशल निर्माण के लिए हरियाणा राज्य के तथा राज्य से बाहर राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सहयोग से समय-समय पर कार्यशाला/सेमिनार/ प्रदर्शनी इत्यादि आयोजित किये जायेगें। विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के युवाओं की प्रतिभा को सामने लाने के लिये, उचित मंच प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर आयोजन किया जाएगा। जिससे राज्य की युवा पीढी में आत्म विश्वास, प्रेरणा, प्रोत्साहन की भावना पनपेगी तथा कला एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने का उद्देश्य भी सार्थक होगा। उक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार रूपरेखा तैयार की जायेगी-

1. विभाग द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय, कार्यशाला/सेमिनार/प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन किया जायेगा।
2. सांस्कृतिक आदान-प्रदान के उद्देश्य से विभाग उक्त कार्यक्रम राज्य में तथा राज्य से बाहर भी आयोजित करेगा।
3. कार्यशालाओं को तीन वर्गो कला उन्नयन तथा कला उत्कर्ष के नाम से संबोधित किया जायेगा।

कला उन्नयन-: इस कार्यशाला मे उन युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिन्हें कला का अल्प ज्ञान है पर उन्हें उस ज्ञान का संवर्धन करने के लिए उचित दिशा निर्देशो एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

कला उत्कर्षः- इन कार्यशालाओं मे विभाग विषय- विशेष पर आधारित रचनाकरण के लिए पेशेवर कलाकारों के साथ मिलकर रचना का निर्माण करेगें।

4. विभाग द्वारा निर्धारित कार्यशाला मे भाग लेने वाले युवा कलाकारों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

5. कार्यशाला/सेमिनार/प्रदर्शनी इत्यादि आयोजन के संबंध में राज्य/राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जायेगा। आमंत्रित विशेषज्ञों को नियमानुसार टी.ए. डी.ए. तथा मानदेय प्रदान किया जाएगा।

6. विषय-विशेषज्ञों के चयन हेतु कला की प्रत्येक विधा मे एक वर्ष के लिए समाचार पत्रों मे आवेदन के माध्यम से विभाग द्वारा गठित कमेटी के द्वारा पांच-पांच सदस्य निर्धारित कर लिये जायेगें, जिनमे से उपलब्धता के आधार पर उक्त आयोजनो मे आमंत्रित किया जायेगा।

7. प्रदर्शन कला तथा दृश्य कला विधाओं हेतु - कार्यशालाओं के आयोजन/आवश्यक प्रबंधों हेतु 1,50,00,000/- रूपये के खर्च का अनुमान है।

2. गुरू-शिष्य परम्परा

भारत में गुरू-शिष्य परम्परा अति प्राचीन परम्परा है, जिसमें गुरू अपने कला क्षेत्र में अनेक शिष्यों को पारंगत करते थे, जिससे अनेक कलाओं का संरक्षण संभव हो सका। हरियाणा राज्य में लुप्त होती जा रही अनेक कला विधाओं को संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गुरू शिष्य परम्परा योजना का बनाया जाना अतिआवश्यक है। क्षेत्र में लोक संगीत (गायन/वादन) लोक नृत्य, लोक रंगमंच, लोककलाओं (चित्रकला/मूर्तिकला) के क्षेत्र में लुप्त हो रही कलाओं के परिरक्षण हेतु विभाग द्वारा गुरू शिष्य परंपरा नीति का बनाया जाना अतिआवश्यक है। इसमें राज्य के विभिन्न कला विशेषज्ञों/गुरूओं/मास्टर जो राज्य की इच्छुक युवा पीढ़ी/उभरते कलाकारों/शिष्यों को विषय विशेष में प्रशिक्षण देकर विभिन्न कलाओं के संरक्षण-संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विभाग द्वारा ऐसे गुरूओं तथा शिष्यों को निर्धारित मापदण्ड के आधार पर मानदेय प्रदान किया जाएगा।

1. **संगीत के अन्तर्गतः-** बीन, बांसली सांरगी, नगाड़ा, जोगी-जंगम, दोतारा, ताशा, हरियाणवी लोक गायन, भारतीय शास्त्रीय संगीत इत्यादि शामिल होगें।
2. **नृत्य के अन्तर्गतः-** गुगा, रसिया, धमाल, खोड़िया, बम्ब लहरी तथा लूर इत्यादि नृत्य शामिल होगें।
3. **रंगमंच के अन्तर्गतः-** स्वांग।
4. **चित्रकला के अन्तर्गतः-** पारंपरिक भित्ति चित्र, लोक कलाएं इत्यादि।

5. **मूर्तिकला के अन्तर्गतः-** 1. समकालीन मूर्तिकला- धातु ढलाई, लकडी गड़ाई, पत्थर गड़ाई, मृणमूर्तिया 2. लोक कला शिल्प- अंडर वुड कट, टैपस्ट्री कला, पेपर मैशे इत्यादि शामिल होगें।

नोटः- गुरू-शिष्य परम्परा योजना का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष तक मान्य रहेगा। लाभान्वित गुरू/शिष्यों को प्रत्येक 3 मास उपरान्त निरीक्षण/प्रस्तुति हेतु बुलाया जाएगा तथा विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा उनके कार्यकाल के विस्तार में निर्णय लिया जाएगा।

नियम एवं शर्तेः-

1. गुरू शिष्य पंरपरा मे दृश्य और निष्पादन कला की लुप्त हो रही विधाओं में अधिकतम पांच-पांच गुरूओं को लाभान्वित किया जा सकेगा।
2. आवेदक गुरू को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा परिवार पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक गुरू की आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक गुरू के पास अपने कला क्षेत्र का कम से कम 20 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।
5. आवेदक गुरू अपना जीवन परिचय, नवीनतम छायाचित्र (फोटो) तथा अपने कला क्षेत्र में मिले प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां, सरकार/ गैर-सरकार कला और संस्कृति संस्था/संस्थान से मिले पुरस्कार या मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न करेगा।
6. विभाग द्वारा गुरू-शिष्य परम्परा में आवेदन के लिए सभी विषयों (दृश्य कला और प्रदर्शन कला) से संबंधित कलाकारों से समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
7. गुरू की उम्मीदवारी प्रकिया, मूल्यांकन तथा सिफारिश करने के लिए माननीय प्रधान सचिव महोदय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों सहित एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
8. इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन के लिए समय-समय पर गुरूओं/शिष्यों की एक निरीक्षण कार्यशाला/ सह-प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।
9. प्रत्येक गुरू को अपनी कला विधा में कम-से-कम पांच से आठ हरियाणा राज्य के ही शिष्यों को प्रशिक्षित करने हेतु ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस

योजना के अंतर्गत गुरूओं के पारिवारिक सदस्यों को सिखाने हेतु लाभ नही मिल सकेगा।

10. गुरू-शिष्य परम्परा योजना का कार्यकाल केवल दो वर्ष तक ही मान्य रहेंगा।

मानदेय विवरणः-

गुरू-शिष्य परम्परा में संगीत विधा, नृत्य विधा, रंगमंच विधा, चित्रकला विधा तथा मूर्तिकला विधा में दिए जाने वाले मानदेय विवरण प्रति माह निम्न प्रकार से हैः-

1. गुरू - 6,000/- रूपये प्रतिमाह।
2. सहायक - 2,500/- रूपये प्रतिमाह।
3. शिष्य प्रति गुरू - 1,000/- रूपये प्रतिमाह।

नोटः- (गुरू की न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी अनिवार्य है)।